न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2016

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1. विशनपुरी पुत्र नारायणपुरी जाति गोस्वामी 2. बींजाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासीगण चौपडा तहसील सोजत		1. लुणाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी पिपलिया की ढाणि, तहसील रोहट जिला पाली 2. टीकूराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी चौपडा तहसील सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री हरीराम नेहरा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/02/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चौपडा के खसरा नम्बर 1258 रकबा 1 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि का दिनांक 13.06.1986 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया। जबकि उक्त भूमि पर गत 55–60 वर्षो से प्रार्थीगण एवं उनके पिता का कब्जा काश्त था। प्रार्थीगण को उक्त भूमि से कभी भी बेदखल नहीं किया गया। इस कारण वक्त आवंटन उक्त भूमि खाली नहीं होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आंवटन की गई है। उक्त भूमि पर वक्त आवंटन भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त था, जिसे पटवारी हल्का द्वारा न तो प्रार्थीगण को कब्जा हटाने बाबत कोई सूचना दी तथा न ही आवंटन समिति को उक्त तथ्य से अवगत करवाया कि उपरोक्त भूमि अतिक्रमित भूमि है। आवंटन के पश्चात भी आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही राजस्व अधिकारीयों/कार्मिकों द्वारा प्रार्थीगण को उनके कब्जे से बेदखल कर अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किया। आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 से न तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया एवं न ही अप्रार्थी भूमिहीन था। आवंटन समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कोई जांच किये आक्षेपित आदेश के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दिया, जो आवंटन शर्तो के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम चौपडा का निवासी ही नहीं था। इस कारण पटवारी हल्का चौपडा द्वारा उसके भूमिहीन होने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट की, उसके लिए वे अधिकृत ही नहीं थे। आवंटन पत्र में पहले अप्रार्थी संख्या 1 का निवास स्थान पिपलिया की ढाणी अंकित किया, जिसमें कांट छाट करते हुए चौपडा किया गया। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 जहां का निवासी है, वहां के पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड के सम्बन्ध में रिपोर्ट की जानी थी, जो नहीं की गई। चूंकि उक्त भूमि आंवटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, इस कारण प्रथम स्टेज पर ही प्रक्रिया दूषित करते हुए प्रश्नगत आवंटन आदेश जारी किया गया, जिसमें आवंटन की कब्जा काश्त ही नहीं रहा। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। भूमि आवंटन करने से पूर्व भी प्रक्रिया अनुसार न तो उद्घोषणा जारी की गई एवं न ही मौका जांच की गई। विधि विरूद्ध रूप से आवंटन किया गया है, जो अपास्त योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1987 पेज 324, आर0आर0डी0 1994 पेज 666, आर0आर0टी0 2006 पेज 1123, डी0एन0जे0 (राज.) 2011 (3) पेज 1100, डी0एन0जे0 (राज.) 2014(3) पेज 1065, आर0आर0डी0 2017 पेज 393, आर0आर0डी0 2002 पेज 1, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 117 तथा आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 790 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि आंवटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.06.1986 में कमेटी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया। कमेटी के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 1 को किये गये आवंटन का इन्द्राज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से आवंटी का कब्जा काश्त रहा है। इसके पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया, जिस पर वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त है। प्रार्थीगण स्वयं यह मानते है कि वे अतिक्रमी है तथा कानूनन अतिक्रमी को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा न ही अतिक्रमी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीयता के अभाव में खारिज योग्य है। प्रार्थीगण आवंटन के 40 वर्षो पश्चात इस प्रार्थना पत्र के जरिये आवंटन को खारिज कराने का अनुतोष चाहते है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू राजस्व 1956 के नियम 101 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ सिवायचक भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम चौपडा के खसरा नम्बर 1042 व 1258 में से 3.30 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। जिस पर भू आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में खसरा नम्बर 1258 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन को इस आधार पर निरस्त कराने का अनुतोष चाहा कि जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि पर वक्त आवंटन प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। इन तथ्यों के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने डी0एन0जे0 (राज.) 2011 (3) पेज 1100 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया, जिसमें यह व्यवस्था प्रदान की है कि सलाहकार समिति ने यह जांच नहीं की कि क्या आवंटन भूमिहीन व्यक्ति था और रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के कब्जे की प्रकृति क्या थी और भूमि क्या आवंटन हेतु उपलब्ध थी ? निर्णीत, आदेश अपास्त किए तथा आवंअन के बिन्दु को पुनः निर्णीत करने हेतु मामला सलाहकार मिति को प्रतिप्रेषित किया। इसके विपरित आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन/नियमन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसे तथ्य भी रेकर्ड पर नही है तथा न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। वर्ष 1986 में अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया जा चुका था एवं कब्जा भी सुपुर्द किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर गेर खातेदार इन्द्राज किया गया तथा आवंटन नियमों की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात सिलसिलेवार अन्तरित होकर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार दर्ज की गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुए आवंटन करवाया है, जो कपटपूर्ण होने से खारिज़ योग्य है। उन्होने अपने इन तथ्यों के सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2006 (2) में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्त का सहारा लिया, जिसमें यह व्यवस्था प्रदान की है कि यदि आवंटन कपट द्वारा प्राप्त किया गया है, तो उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है, जिसे किसी भी समय अपास्त किया जा सकता हैं। इसके विपरित आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये है, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen

अति. जिला कलेक्टर, पाली

the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 40 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने जाहिर किया कि आवंटन हेतु प्रक्रिया का पालल नहीं किया गया। इन तथ्यों के सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1994 पेज 666 का सहारा लिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बिना हस्ताक्षर तथा सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं होने के बावजूद किया गया आवंटन नियमों के तहत विधि सम्मत नहीं हैं। यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है, क्योंकि प्रकरण हाजा में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो कोरम की सर्वसम्मति से निर्णय करने के पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि का आवंटन किया गया। वादस्थ भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने के कारण उसके गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है तथा उसके पश्चात उसके द्वारा भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय किया गया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 वादस्थ भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। इस कारण प्रार्थी के इस तथ्य में कतई बल नहीं है, कि जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त न होकर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा आवंटन कमेटी की आज्ञानुसार

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम चौपडा के खसरा नम्बर 1258 किस्म बा0दो0 में से दिनांक 13.06.1986 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहसीलदार सोजत को भिजवाई जावे तथा निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ मूल रेकर्ड प्रभारी अधिकारी रेकर्ड शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली को लौटाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली